मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

M.P. Pollution Control Board
No. 16945
Dt. 12/12/18
Encl. ...
BHOPAL

क. 1193 /2018/18-5 भोपाल, दिनांक 07 दिसम्बर 18

कार्यवाही विवरण

विषयः- एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 5/12/18 का कार्यवाही विवरण ।

मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेन्च नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 681/18 में दिनांक 8/10/2018 को पारित आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, देवास, सागर एवं ग्वालियर शहर के एक्शन प्लान बनाने हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19/11/18 द्वारा गठित एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 5/12/18 को श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक संलग्न है ।

बैठक के प्रारम्भ में अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, देवास, सागर एवं ग्वालियर शहर के एक्शन प्लान संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न विभागों के संबंधित स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से पूर्व में एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पटना के एक्शन प्लान के प्रारूप अनुसार तैयार किये गये थे। एक्शन प्लान की प्रति आज बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। एक्शन प्लान में शहरों की एअर क्वालिटी गुणवत्ता उन्नयन हेतु किये जाने वाले विभिन्न कार्यों तथा विभिन्न विभागों के दायित्वों का उल्लेख है, उक्त कार्य किस प्रकार के होंगे तथा उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा तत्संबंधी तथ्यों का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है।

परिवहन विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवधि संबंधी कार्यवाही भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय अन्तर्गत आती है तथापि विभाग द्वारा 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक यात्री वाहनों के परमिट प्रदाय किये जाने पर रोक लगाई गई है । प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि एक्शन प्लान में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अहम भूमिका है अतः इस संबंध में आयुक्त एवं सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल आयुक्त, नगर निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास एवं सागर को आमंत्रित कर बैठक का आयोजन किया जाये ।

वाहनों में पीयूसी जांच संबंधी उपकरण प्रत्येक पेट्रोल पम्प एवं सर्विस स्टेशन पर लगवाये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु समस्त क्षेत्रीय अधिकारी स्थानीय स्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में जिला कलेक्टर, पेट्रोल/डीजल प्रदायकर्ता कम्पनी से कार्यवाही करने हेतु पहल करेंगें। साथ ही पीयूसी की चेकिंग, वाहन प्रदूषण संबंधी मॉनीटरिंग एवं जुर्माने संबंधी कार्यवाही भी परिवहन एवं यातायात पुलिस द्वारा की जानी चाहिये ।

उद्योग विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जिन श्रेणी के उद्योगों की स्थापना शहरी एवं अन्य क्षेत्र में नहीं होनी है तत्संबंधी सूची म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर विभाग द्वारा उक्त आशय की कार्यवाही की जायेगी ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु विभिन्न गतिविधियों की टाईम लाईन सहित जानकारी 12/12/18 के पूर्व उपलब्ध कराई जाये ।

(डॉ. कैलाश बुन्देला) 7/12/18
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,

पृ0 क. 1194 /2018/18-5 भोपाल, दिनांक07 दिसम्बर 18

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म.प्र.शासन भोपाल।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शिवाजी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, ग्वालियर
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग संचालनालय भोपाल
4. संचालक, कृषि विभाग, म.प्र.शासन भोपाल
6. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

SSO-(M)

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,

दिनांक 19/12/18 को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया गया।